रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939
No. 265] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई , 2017

सं. डीई–22–2017.– भारतीय दन्त परिषद, दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में प्रदान की गई स्वीकृति और मौजूदा विनियम जोकि भारत सरकार के असाधारण गजट के भाग–III, खंड 4 में (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) दिनांक 12.01.2006 को "भारतीय दन्त परिषद प्रधान विनियम 2006" अधिसूचित किये गये थे, में निम्नानुसार सं"ोधन करती है:–

1. संक्षिप्त भीर्शक और प्रारंभण:–
   (i) ये विनियम "भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) (नौवा संशोधन), विनियम 2017 कहा जायेगा"।
   (ii) ये सरकारी राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. "भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006" विनियम 11 के बाद एक नया विनियम 11 ए को सम्मिलित किया जायेगा।

प्रवेश रोकना

"11 ए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर स्तर में स्टाफ, भवन, उपकरण, स्थान, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थान जो दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 और इसके अन्तर्गत बने नियम एवं विनियम जिनमें केन्द्र सरकार की सिफारिशों पर समय–समय पर किए गये संशोधनों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं से परिषद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो दन्त चिकित्सक अधिनियम की धारा 16 क के अन्तर्गत ऐसे स्नातक पूर्व और/अथवा स्नातकोत्तर स्तर के संस्थानों की दन्त योग्यता की मान्यता वापस ले ली जायेगी और केन्द्र सरकार ऐसे संस्थानों के विरूद्ध, ऐसे पाठ्यक्रमों के अध्ययन और प्रशिक्षण में प्रवेश रोकने सहित तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर जो उचित समझेगी इन पर कार्रवाई करेगी। ऐसे दन्त संस्थानों को सुनवाई का एक अवसर दिया जायेगा।"

डॉ. सब्यसाची साहा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./136/17]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियम, नामतया भारतीय दन्त परिषद (नये दन्त कॉलेजो की स्थापना, दन्त कॉलेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नये अथवा उच्चत्तर पाठ्यक्रम खोलना और दन्त कॉलेजों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाना) विनियम, 2006 दिनांक 12 जनवरी, 2006 को भारत के राजपत्र के भाग–III खण्ड (4) में प्रकाशित एवं अधिसूचित किया गया था और जिसे बाद में अधिसूचना दिनांक 16.01.2006, 21.02.2006, 03.011.2006, 22.05.2012, 11.03.2016 के द्वारा संशोधित किया गया।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2017

No. DE-22-2017.— In exercise of the powers conferred upon the Dental Council of India under Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing Principal "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" published and notified in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 12.01.2016:–

1. Short title and commencement:-
   (i) These Regulations may be called the "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (9th Amendment) Regulations, 2017".
   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006", after Regulation 11, a new regulation 11 A shall be inserted:-

<u>**Stop of admissions**</u>

"11A When, upon report by the Executive Committee or the Visitor it appears to the Council that—

Any recognized Dental institution does not satisfy the requirement of the Council at undergraduate and/or postgraduate level in terms of staff, building, equipment, accommodation, training and other facilities as prescribed in the Dentist's Act, 1948 and Rules & Regulations made thereunder, as amended from time to time it may recommend to the Central Government for withdrawal of recognition of such dental qualification at undergraduate and/or postgraduate level under section 16 A of the Dentists Act and the Central Government may take appropriate action thereon as it may think fit in the facts and circumstances of each case including stoppage of admission at such course(s) of study and training, after an opportunity of hearing is granted to such dental institution".

Dr. SABYASACHI SAHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./136/17]

Foot Note: The Principal Regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New of Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, were published in Part III, Section, Section (4) of the Gazette of India vide Notification dated the 12th January, 2006 and amended vide notification dated 16.01.2006, 21.02.2006, 03.11.2006, 22.05.2012, 11.03.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.10 11:11:48 +05'30'